न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)

राजस्व वाद सख्या– 27/2016

1. श्री नारायण पुत्र गंगाराम
2. श्री गिरधारी पुत्र गंगाराम

सभी जाति जाट निवासीगण ग्राम ताखरखेडा ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर। ......प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र श्री प्रताप
2. मगना पुत्र श्री प्रताप

सभी जाति जाट निवासीगण ग्राम ताखरखेडा ग्राम पंचायत शिखरानी तहसील बिजयनगर

3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर। ....अप्राथ्रीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि मौजा शिखरानी पटवार क्षेत्र शिखरानी प्रथम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित भूमि ख0 न0 44 रक्बा 01 बिस्वा गै0 मु0 चाह व ख0 न0 48 रक्बा 01–17–10 किता 2 रक्बा 1–18–10 तथा ख0 न0 47 रक्बा 6–15–00 बीघा भूमियां प्रार्थीगण की खुद काश्त से खातेदारी की भूमियां है जिनके पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है जो समय समय पर प्रार्थीगण की भूमियों पर अतिक्रमण करने पर आमादा रहते है और विवाद करते है इसलिए प्रार्थीगण की भूमियों की पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पर सम्मन तामीली के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब न देकर मौखिक कथन किये कि प्रार्थीगण अपने आवेदन के कथन सिद्व करे।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम शिखरानी की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 265 में आराजी ख0 न0 44 एवं 48 में प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार है तथा खाता संख्या 266 के ख0 न0 47 में प्रार्थी नारायण तन्हा रूप से खातेदार है अतः प्रार्थीगण अपनी खुदकाश्त की जोत की पत्थर गढढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम शिखरानी प्रथम स्थित आराजी ख0 न0 44 रक्बा 0–01 एवं 48 रक्बा 1–17–10 तथा ख0 न0 47 रक्बा 6–15–10 बीघा की बाद माप एवं सीमांकन के पत्थर गढढी किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तथा तहसीलदार बिजयनगर को 1500/– रुपये पर मौके कमिश्नर नियुक्त कर आदेश की पालना करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को सरे इजलास राष्ट्रिय लोक अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested